लक्ष्मीनारायण आदि विरूद्ध बाबूलाल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – रतलाम

प्रकरण कमांक निग0636-दो/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.3.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के प्रकरण कमांक 119/अपील/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–1–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह लिखा है कि अपीलांट (इस न्यालय में अनावेदक) की बहस से सहमत होते हुए अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब सद्भावनापूर्ण होने से धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार किया जाकर विलंब क्षमा किया जाता है । अधीनस्थ न्यालय ने विलंब किस आधार पर सद्भाविक मान्य किया है उन कारणों का कोई उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में नहीं किया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विलंब के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

प्रकरण क्रं /2015 निगरानी 636/II/15

1. लक्ष्मीनारायण पिता चैनराम जाति – पाटीदार
2. बद्रीलाल पिता चैनराम जाति – पाटीदार
3. रामसुखीबाई पिता चैनराम जाति– पाटीदार

निवासीगण – शेरपुर तह. पिपलौदा जि. रतलाम
..... आवेदकगण

विरुद्ध

बाबुलाल पिता चैनराम जाति पाटीदार आयु 60 वर्ष निवासी शेरपुर हाल मुकाम पिपलौदा जि. रतलाम ..... अनोवदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जावरा ने प्रकरण क्रमांक 119 अपील/12–13 मे दिनांक 29.01.2015 को जो आदेश पारित किया उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01. यह कि, आवेदकगण ने न्यायालय तहसीलदार पिपलौदा जिला रतलाम के यहां पर धारा 109, 110 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण को नामांतरण हेतु ग्राम पंचायत शेरपुर के यहां पर भेजा। ग्राम पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 31.12.2012 के अनुसार आवेदकगण का नामांतरण आवेदन स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा एक अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जावरा के यहां पर प्रस्तुत की तथा धारा 5 अवधि विधान का ओवदन पत्र भी प्रस्तुत किया। न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी जावरा द्वारा अपीलांट आवेदकगण का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अपीलांट अनावेदक द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2012 के आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के यहां पर 03.08.2013 को अपील प्रस्तुत की। लगभग 8 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.01.2015 के द्वारा अनावेदक का धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया, इस आदेश से असंतुष्ट होकर निम्न आधारो पर माननीय न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत है :–

निगरानी के अधार :–